सचिका सं0–7/MCH -35-22/2026-27- 175(76) 11

विहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वाराः– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक– 15/04/2026

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2026–27 में भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा में संचालित डी०एन०बी० पाठ्यक्रम तथा पी०जी० में अध्ययनरत छात्रों के छात्रवृति/वजीफा के भुगतान हेतु कुल रू0 4,95,00,000/– (रूपये चार करोड़ पन्चानवे लाख) मात्र के व्यय के निमित स्वीकृति ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या–10(1), दिनांक–08.01.2021, विभागीय पत्रांक–03(1), दिनांक–03.01.2022, संकल्प संख्या–776(1), दिनाक–29.11.2023, संकल्प संख्या–472(1), दिनांक–05.07.2023, संकल्प संख्या–125(1), दिनांक–20.02.2014 एव संकल्प संख्या–776(1), दिनांक–29.11.2023 के आलोक मे वित्तीय वर्ष 2026–27 मे भगवान महावीर आयुर्विज्ञान सस्थान, पावापुरी, नालन्दा मे सचालित डी०एन०बी० पाठ्यक्रम तथा पी०जी० मे अध्ययनरत छात्रों के छात्रवृति/वजीफा के भुगतान हेतु कुल रू0 4,95,00,000/– (रूपये चार कराड पन्चानवे लाख) मात्र के व्यय के निमित स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) इस पर होने वाले व्यय का वहन मांग स0–20 के अंतर्गत स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उप मुख्यशीर्ष–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, लघु शीर्ष–105–एलोपैथी, उपशीर्ष–0022–वर्द्धमान इन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ साईसेज, पावापुरी, विपत्र कोड–20-2210-05-105-0022 अंतर्गत छात्रवृति/वजीफा (34–01) मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

(3) इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा होंगे एव नियंत्री पदाधिकारी, क्षेत्रीय अपर निदेशक, पटना प्रमडल, पटना होंगे।

(4) निकासी एव व्ययन पदाधिकारी वित विभाग एव स्वास्थ्य विभाग के अद्यतन परिपत्रों के आलोक मे राशि की निकासी विहित प्रपत्र के माध्यम से करते हुए सबंधित छात्रों को उपलब्ध करायेंगे ।

(5) राशि की निकासी जिला कोषागार, पटना से की जायेगी ।

(6) यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि(2), दिनाक–17.04.1998 के प्रावधानो के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

(7) वित्त विभाग द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र नियमानुसार BTC Form-42A पर तैयार करते हुए महालेखाकार, कार्यालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगे।

(8) प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका स०–7/MCH -35-22/2026-27 के पृष्ठ–.03/टि० पर प्राप्त है।

(9) इसमे सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

(10) यह मात्र स्वीकृत्यादेश है, आवटित राशि CFMS के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) सबधित प्रस्ताव मे महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है ।

विश्वासभाजन,
15.4.26
(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः— 7/MCH -35-22/2026-27 ...175 (7B)/स्वा0, पटना, दिनांकः— 15/04/2026

प्रतिलिपि—वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—प्राचार्य, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—माननीय मत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—07बी एवं संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैंनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15.4.26

सरकार के अपर सचिव